Form No……. **Rs. 200/-**

Date: -……...

BID FORM

HIRING OF TAXI CARS/BUSES

1. .	**BID No.**	F.9(1) Pool/Taxi Cars/Bus/RIPA/2014/ 718-19 Date:- 16-04-2015
2.	**Bidding Authority & Address**	Director , HCM RIPA, Jaipur
3.	**Telephone No.**	0141-5162543
4.	**Telephone-cum-Fax**	0141-2705420
5.	**Web site**	www.hcmripa.gov.in
6.	**BID form can be obtained up to**	**04.05.2015 Till 1-30 P.M.**
7. .	**BID form submitted upto**	**05.05.2015 Till 3.00 PM Place: Reception Counter, HCM RIPA, Jaipur -302017**
8. .	**Opening of BID for**	**Date: 05.05.2015 Time: 4.00 PM Place: Room No. 307, HCM RIPA, Jaipur-302017**

Signature of Issuing Authority

GOVERNMENT OF RAJASTHAN

HCM RAJASTHAN STATE INSTITUTE OF PUBLIC ADMINISTRATION

JAIPUR - 302017

i BID form for **HIRING OF TAXI CARS/BUSES**

ii Information of the firm/BIDer.

a	**Name of the firm/BIDDER**	
b	**Postal address**	
c	**Telephone Nos.**	**Residence:**
		Office:
		Mobile:
d	**Fax Nos.**	
e	**Email**	
f	**Name of Contacted person**	
	Telephone No.	
	Mobile No.	

1 Address to (Bidding Authority) Director , HCM RIPA, Jaipur

2 NIT reference No. F9(1) Pool/Taxi Car/Bus/RIPA/2014 /718-19 date16-4-2015 Last date of submitting BID 05.05.2015 up to 3.00 PM.

3 The BID fee amounting to Rs. 200/- has been deposited vide cash receipt No ..... Dated.....……

4 We agree to abide by all the conditions mentioned in the BID notice mentioned above and issued by the BIDing authority and also the futher conditions of the said BID notice given in the attached sheets (all the page of which have been signed by us in acceptance of the terms & conditions mentioned therein).

5 The successful BIDer is required to execute agreement with HCM RIPA, Jaipur on Stamp paper.

6 Enclose copy of Experience Certificate.

7 The income tax clearance certificate, service tax registration no. and service tax clearance certificate are submitted herewith.

8 The rates quoted above are valid up to 31-05-2016 the period can be extended with mutual agreement.

CHECK LIST

BIDDER is required to furnish the followi ng information:

S. No	Particulars	Enclosed yes/no	Details	Page No.	Remarks
1	Bid Serurity of Rs.10,000/- if yes, furnish details				
2	BID form (in original)				
3	Terms & Condition duly signed or not ?				
4	VAT/Central Sales Tax/ Road Tax (if applicable)				
5	Certification for relevant work experience and capacity of the firm				
6	Lists/ documents enclosed				
7	Turn over details (Copy of duly verified Balance Sheet) 2011-2012 2012-2013 2013-2014				
8	*PAN No.				
9	*TI N No.				
10	*Service Tax No.				
11	Others specify				

** PAN / TIN / ST number should be complusorly mentioned in the relevant column.*

Note : Please enter the number and other applicable information i n the details colum.

SPECIFICATIONS

(अ) टैक्सी कार (स्थानीय उपयोग हेतु)

घण्टे	किलोमीटर	नॉन ए.सी. की दरें				ए.सी. की दरें			
		इण्डिगो	स्वीप्ट डिजायर	टवेरा	इनोवा / जायलो	इण्डिगो	स्वीप्ट डिजायर	टवेरा	इनोवा / जायलो
8 घण्टे	80								
9 घण्टे	90								
10 घण्टे	100								
11 घण्टे	110								
12 घण्टे	120								
उपरोक्त घण्टो में निर्धारित किलोमीटर से अधिक चलने पर प्रति किलोमीटर की दर									
उपरोक्त समय के अतिरिक्त प्रति घंटे की दर (इसमें 10 किलोमीटर वाहन निःशुल्क उपलब्ध करवाना होगा।									
एयरपोर्ट / बस स्टेण्ड व रेल्वे स्टेशन से लाने अथवा ले जाने की दरें									

(ब) टैक्सी कार (जयपुर से बाहर के लिए)

	नॉन ए.सी. की दरें				ए.सी. की दरें			
	इण्डिगो	स्वीप्ट डिजायर	टवेरा	इनोवा / जायलो	इण्डिगो	स्वीप्ट डिजायर	टवेरा	इनोवा / जायलो
प्रति किलोमीटर (राज्य में)								
प्रति किलोमीटर (राज्य से बाहर)								
प्रतिदिन न्यूनतम किलोमीटर जिसका चार्ज किया जावेगा, अंकित की जावे।								
रात्रि विश्राम दर								

II- (अ) बस (स्थानीय उपयोग हेतु)

घण्टे	किलोमीटर	नॉन ए.सी. दर डीलक्स बसों के लिए					
		मिनी बस	बस डीलक्स	बस डीलक्स	मिनी बस	बस डीलक्स	टैम्पो ट्रेवल्र नॉन ए.सी.
		19 सीटर	23 सीटर	27 सीटर	35 सीटर	45 सीटर	10–12 सीटर
6 घण्टे	60						
8घण्टे	80						
10 घण्टे	100						
उपरोक्त घण्टो में निर्धारित किलोमीटर से अधिक चलने पर प्रति किलोमीटर की दर							
उपरोक्त समय के अतिरिक्त वाहन चलने पर प्रति घंटें की दर(इसमें 10 किलोमीटर वाहन निःशुल्क उपलब्ध करवाना होगा।							
एयरपोर्ट/ बस स्टेण्ड / रेल्वे स्टेशन से लाने अथवा ले जाने की दरें							

II- (अ) बस (स्थानीय उपयोग हेतु)

घण्टे	किलोमीटर	ए.सी. दर डीलक्स बसों के लिए					
							टैम्पो ट्रेवल्र ए.सी.
		19 सीटर	23 सीटर	27 सीटर	35 सीटर	45 सीटर	10–12 सीटर
6 घण्टे	60						
8 घण्टे	80						
10 घण्टे	100						
उपरोक्त घण्टो में निर्धारित किलोमीटर से अधिक चलने पर प्रति किलोमीटर की दर							
उपरोक्त समय के अतिरिक्त वाहन चलने पर प्रति घंटें की दर(इसमें 10 किलोमीटर वाहन निःशुल्क उपलब्ध करवाना होगा।							
एयरपोर्ट/ बस स्टेण्ड / रेल्वे स्टेशन से लाने अथवा ले जाने की दरें							

(ब) बस (जयपुर से बाहर के लिए)

प्रति किलोमीटर दर						
	नॉन ए.सी. डीलक्स बसों की दरें					टैम्पो ट्रेवल्र नॉन ए.सी.
	19 सीटर	23 सीटर	27 सीटर	35 सीटर	45 सीटर	10–12 सीटर
प्रति/किलोमीटर दर (राज्य में प्रयुक्त होने पर)						
प्रति/किलोमीटर दर (राज्य के बाहर प्रयुक्त होने पर)						
रात्रि विश्राम दर प्रतिदिन						
प्रतिदिन न्यूनतम किलोमीटर जिसका चार्ज किया जावेगा, अंकित की जावे।						

(ब) बस/टेम्पो ट्रेवल्र (जयपुर से बाहर के लिए)

प्रति किलोमीटर दर						
	ए.सी. डीलक्स बसों की दरें					टैम्पो ट्रेवल्र ए.सी.
	19 सीटर	23 सीटर	27 सीटर	35 सीटर	45 सीटर	10–12 सीटर
प्रति/किलोमीटर दर (राज्य में प्रयुक्त होने पर)						
प्रति/किलोमीटर दर (राज्य के बाहर प्रयुक्त होने पर)						
रात्रि विश्राम दर प्रतिदिन						
प्रतिदिन न्यूनतम किलोमीटर जिसका चार्ज किया जावेगा, अंकित की जावे।						

नियम व शर्तें

1. स्थानीय दरें रीपा से रीपा तक ही देय होंगी। स्थानीय उपयोग के अतिरिक्त किलोमीटर की गणना संस्थान से वाहन रवाना होने अथवा वापस आने पर जो होगी, उसके अनुसार कुल किलोमीटर की गणना की जावेगी।

2. टोल टैक्स/पार्किंग शुल्क एवं सर्विस टैक्स की राशि दरो में शामिल नहीं की जावे (टोल टैक्स व पार्किंग शुल्क पर पर हुये वास्तविक व्यय एवं उस समय प्रचलित सर्विस टैक्स का भुग तान अरिक्ति देय होगा) दी गई दरों में उक्त के अलावा सभी कर शामिल होने चाहिये। राज्य से बाहर वाहन जाने पर अलग से कोई शुल्क देय नहीं होगा।

3. रात्रि विश्राम की दर प्रति रात्रि अंकित करें (रात्रि विश्राम 12 बजे रात्रि बाद ही देय होगा) ।

4. बोली में राशि शब्दों व अंको में दोनों ही प्रकार से लिखी होनी चाहिए। बोली में किसी भी प्रकार की कांट–छांट नही होनी चाहिए यदि किसी प्रकार की ओवरराईटिंग होती है तो वहां पर हस्ताक्षर करें।

5. वाहनों का मॉडल कारों के लिए वर्ष 2012 तथा बसों के लिए वर्ष 2011 से पुराने नहीं होने चाहिये तथा वाहन का बीमा होना आवश्यक है।

6. वाहन विभाग की आवश्यकता की सूचना मिलने के दों घंटे के भीतर–भीतर उपलब्ध करवाना होगा। वाहन समय पर उपलब्ध नही कराने पर प्रतिदिन न्यूनतम चार्जेज़ की राशि दण्ड स्वरूप काटी जावेगी।

7. उक्त दरों पर वाहन ह.च.मा. रीपा, जयपुर, प्रबंध अध्ययन केन्द्र, सी.जी.जी. व सी.डी.एम. को उपलब्ध कराने होंगे। बोलीदाता को बोली (बोली) के साथ बोली प्रतिभूति संलग्न करनी अनिवार्य होगी। उक्त बोली प्रतिभूति राशि संस्थान की लेखा शाखा में जमा करवाई जा सकती है अथवा निदेशक,ह0च0मा0 रीपा, जयपुर के नाम डिमाण्ड ड्राफट, बैंकर्स चैक एवं पे आर्डर के द्वारा जमा कराई जा सकती है। कार्यादेश जारी करने के पश्चात् 500/– रूपये के नॉन ज्यूडिशियल स्टाम्प पेपर पर अनुबन्ध संपादित करना होगा तथा कुल कार्यादेश की राशि का 5 प्रतिशत कार्य सम्पादन प्रतिभूति राशि जमा कर ानी होगी, उक्त राशि में पूर्व में प्रतिभूति राशि के रूप में जमा कराई गई रा शि का समायोजन किया जा सकेगा। बिना बोली प्रतिभूति राशि के बोली (बोली) स्वीकार नहीं की जावेगी।

8. वाहन खराब होने/दुर्घटनाग्रस्त होने पर बोलीदाता को तत्काल वैकल्पिक व्यवस्था करनी हो गी।

9. अनुबन्ध एवं करार की अवधि करार की दिनांक से एक वर्ष के लिए मान्य होगी जिसको दोनो पक्षो की आपसी सहमति से 6 माह तक के लिए बढ़ाया जा सकेगा।

10. यदि बोलीदाता द्वारा अनुबंध के अनुसार कार्य नहीं करवाया जाता है अथवा कार्य के प्रति लापरवाही बरती जाती है तो एक सप्ताह के नोटिस पर अनुबंध समाप्त करके बोीदाता द्वारा जमा कराई गई कार्य सम्पादन प्रतिभूति राशि जप्त कर ली जावेगी।

11. बोली प्रपत्र के साथ चार परिशिष्ट ए, बी, सी व डी लगे हुये हैं, अतः इनको पढ़कर अपनी सहमति देवे।

हस्ताक्षर मय मोहर
(बोलीदाता)

अनुबन्ध पर सेवायें प्रदत्त करने के संबंध में
खुली बोली के लिए बोली एवं संविदा की शर्ते

टिप्पणीः बोलीदाताओं को इन शर्तों को सावधानीपूर्वक पढ़ना चाहिए तथा अपनी बोलीएँ भेजते समय इनका पूर्णरूपेण पालन करना चाहिए।

1. बोलीओं को बोली सूचना में दिए गए निर्देशों के अनुसार उचित रूप में मुहरबन्द लिफाफे में बन्द करना चाहिए।

1. वास्तविक डीलरों/सेवा दाताओं द्वारा बोलीएँ मालों के वास्तविक डीलरों/सेवा दाताओं द्वारा ही दी जायेगी। इस संबंध में वे घोषणा प्रस्तुत करेंगे।

2. (i) फर्म के गठन आदि में किसी भी परिवर्तन की सूचना क्रेता अधिकारी को लिखित में ठेकेदार द्वारा दी जायेगी तथा इस परिवर्तन से संविदा के अधीन किसी भी दायित्व से, फर्म के पहले सदस्य को मुक्त नहीं किया जाएगा।

   (ii) संविदा के संबंध में फर्म में किसी भी नए भागीदार/भागीदारों के ठेकेदार द्वारा फर्म में तब तक स्वीकार नहीं किया जाएगा जब तक कि वे इसकी समस्त शर्तों को मानने के लिए बाध्य नहीं हो जाते एवं क्रेता अधिकारी को इस संबंध में लिखित इकरार नामा प्रस्तुत नहीं कर देते। प्राप्ति स्वीकृति के लिए ठेकेदार की रसीद या बाद में उपरोक्त रूप में स्वीकार की गयी किसी भागीदार की रसीद उन सब को बाध्य करेगी तथा वह संविदा के किसी प्रयोजन के लिए पर्याप्त रूप से उन्मुक्ति होगी।

3. आयकर चुकती प्रमाण–पत्र, बिक्री कर/सेवा कर पंजीयन प्रमाण पत्रः कोई भी डीलर/सेवा दाता यदि उस राज्य में, प्रचलित जहाँ उसका व्यवसाय स्थित है, बिक्री कर/सेवा कर अधिनियम के अन्तर्गत पंजीकृत नहीं है तो वह बोली नहीं दे सकेगा। बिक्री कर/सेवा कर पंजीयन संख्या का उल्लेख करें (प्रमाण पत्र की सत्यापित प्रति संलग्न करें) ।

4. बोली प्रारूप स्याही/बाल पेन से भरा जाएगा या टंकित किया जायेगा। पैंसिल से भरी गयी किसी भी बोली पर विचार नहीं किया जायेगा। बोलीदाता बोली के प्रत्येक पृष्ठ पर हस्ताक्षर करेगा तथा अन्त में बोली के समरूत निबंधनों एवं शर्तों को स्वीकार करने के प्रमाण में हस्ताक्षर करेगा।

5. दर शब्दों एवं अंकों दोनों में लिखी जाएगी। इसमें कोई त्रुटियाँ या उपरिलेखन नहीं होना चाहिए। यदि कोई शुद्धियाँ करनी हों तो स्पष्ट रूप से की जानी चाहिए एवं उन पर दिनांक सहित लघुहस्ताक्षर किए जाने चाहिए। दरों में राजस्थान बिक्री कर/मुल्य संवर्धित कर (VAT) एवं केन्द्रीय बिक्री करों की राशि को पृथक–पृथक से दिखाना चाहिए।

6. सेवा दाता/अनुबन्धकर्ता अपनी संविदा को या उसके किसी सारवान भाग को किसी अन्य एजेन्सी को नहीं सौंपेगा या उप–भाड़े पर नहीं देगा।

7. निरीक्षणः

   (क) क्रेता अधिकारी या उसका विधिवत प्राधिकृत प्रतिनिधि, को किसी भी समय सेवादाता/अनुबन्ध कर्ता के कार्य के निरीक्षण एवं जाँच करने की शक्ति होगी।

   (ख) बोलीदाता अपने कार्यालय, गोदाम एवं वर्कशाप के परिसर का, जहाँ पर निरीक्षण किया जा सकता है, पूर्ण पता, उस व्यक्ति के नाम व पते के साथ देगा जिससे उस प्रयोजन के लिए सम्पर्क किया जा सके।

8. परीक्षण प्रभारः–परीक्षण प्रभार निदेशक, ह0च0मा0 रीपा, जयपुर द्वारा वहन किए जाएंगे। यदि बोलीदाता अत्यावश्यक तत्काल परीक्षण कराना चाहता हो या यदि परीक्षण परिणामों से यह ज्ञात होता है कि प्रदाय की गई सेवा विहित स्तरों या विनिर्देशों के अनुसार नहीं है, तो रीक्षण प्रभार बोलीदाता द्वारा वहन किए जाएंगे।

9. अनुबन्ध/सेवा हेतु संविदा को, यदि सेवा/अनुबन्ध क्रेता अधिकारी की संतुष्टि के अनुसार नहीं किया जाता है, तो बोलीदाता को सुनवाई का एक युक्तियुक्त अवसर देने के बाद क्रेता अधिकारी किसी भी समय निराकृत कर सकता है। वह इस प्रकार निराकृत करने के कारणों को अभिलिखित करेगा।

10. बोलीदाता या उसके प्रतिनिधि की ओर से प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से अपना पक्ष समर्थन कराना एक प्रकार की अनर्हता होगी।

11. यदि सेवा प्राप्तकर्ता किन्हीं निविदत्त सेवाओं/वस्तुओं को प्राप्त नहीं करता है या बोली प्रपत्र में निर्दिष्ट मात्रा से कम मात्रा में प्राप्त करता है, तो बोलीदाता किसी क्षतिपूर्ति का क्लेम करने का हकदार नहीं होगा। यदि उसे इन शर्तो, विनिर्देशों, रेखाचित्रों आदि के किसी भाग के आशय के

बारे में कोई सन्देह हो, तो वह संविदा पर हस्ताक्षर करने से पूर्व क्रेता अधिकारी को भेजेगा तथा उससे स्पष्टीकरण प्राप्त करेगा।

12. बोली प्रतिभूति (Bid Serurity):–(क) बोली के साथ रु. 10,000/– की बोली प्रतिभूति राशि प्रस्तुत की जाएगी। इसके बिना बोलीओं पर विचार नहीं किया जाएगा। यह राशि निदेशक, ह.च.मा. राजस्थान राज्य लोक प्रशासन संस्थान, जयपुर के पक्ष में नकद अथवा बैंक ड्राफ्ट मे माध्यम जमा कराई जायेगीः–

(ख) बोली प्रतिभूति राशि का प्रतिदायः असफल बोलीदाता की बोली प्रतिभूति राशि बोली को अंतिम रूप से स्वीकार करने के बाद यथा शीघ्र लौटायी जाएगी।

(ग) केन्द्र सरकार एवं राजस्थान सरकार के उपक्रमों को कोई बोली प्रतिभूति राशि प्रस्तुत करने की आवश्यकता नहीं है।

(घ) अनुमोदन की प्रतीक्षा करने वाली या रद्द की गयी बोलीओं के संबंध में या संविदाओं के पूर्ण हो जाने के कारण विभाग/कार्यालय के पास जमा बोली प्रतिभूति/प्रतिभूति निक्षेप को नयी बोलीओं के लिए बोली प्रतिभूति राशि/प्रतिभूति धन के प्रति समायोजित नहीं किया जाएगा।

13. अमानत राशि का समपहरणः– अमानत राशि को निम्नलिखित मामलों में समपहृत कर लिया जाएगाः

(i) जब बोलीदाता बोली खोलने के बाद किन्तु बोली को स्वीकार करने के पूर्व प्रस्ताव को वापस लेता है या उसमें रूपान्तरण करता है।

(ii)जब बोलीदाता विनिर्दिष्ट समय के भीतर विहित किसी करार को,यदि कोई हो, निष्पादित नहीं करता है।

(iii)जब बोलीदाता प्रदायगी के लिए आदेश देने के बाद कार्य सम्पादन प्रतिभूति (Security) राशि जमा नहीं कराता है।

(vi) जब वह विहित समय के भीतर सेवा/अनुबन्ध आदेश के अनुसार मदों का सेवा/अनुबन्ध प्रारम्भ करने में असफल रहता है।

14. (1) करार एवं प्रतिभूति निक्षेपः –

(i) सफल बोलीदाता को आदेश के प्राप्त होने से 7 दिन की अवधि के भीतर संलग्न प्रपत्र में एक करार पत्र निष्पादित करना होगा तथा जिन सेवाओं के लिए बोलीएँ स्वीकार की गयी हैं, उनके अनुमानित लागत के 5 प्रतिशत के बराबर कार्य सम्पादन प्रतिभूति जमा करानी होगी। यह प्रतिभूति प्रेषण के उस दिनांक से जिसको बोली के स्वीकार किए जाने की सूचना उसे दी गयी है, 7 दिन के भीतर जमा करायी जाएगी।

(ii) बोली के समय जमा करायी गयी बोली प्रतिभूति राशि को प्रतिभूति की राशि के लिए समायोजित किया जाएगा। प्रतिभूति की राशि किसी भी दशा में अमानत राशि से कम की नहीं होगी।

(iii) प्रतिभूति राशि पर विभाग द्वारा ब्याज का भुगतान नहीं किया जाएगा।

(iv) प्रतिभूति राशि नकद/बैंकर्स चैक/डी.डी. द्वारा निदेशक, ह.च.मा. राजस्थान राज्य लोक प्रशासन संस्थान, जयपुर के नाम से जमा कराई जायेगी।

(v) केन्द्र सरकार एवं राजस्थान सरकार के उपक्रम प्रतिभूति राशि जमा कराने से मुक्त होंगे।

(2) प्रतिभूति निक्षेप का समपहरणः प्रतिभूति की राशि को पूर्ण या आंशिक रूप से निम्नलिखित मामलों में समपहृत किया जा सकेगाः

(अ) जब संविदा के किन्हीं निबंधनों और शर्तों का उल्लंघन किया गया हो।

(ब) जब बोलीदाता सम्पूर्ण सेवा/अनुबन्ध संतोषजनक ढंग से करने में असफल रहा हो।

(स) प्रतिभूति निक्षेप को समपहृत करने के मामले में युक्तियुक्त समय पूर्व नोटिस दिया जाएगा। इस संबंध में क्रेता अधिकारी का निर्णय अंतिम होगा।

(3) करार पत्र को पूर्ण करने एवं उस पर स्टाम्प लगाने के व्यय का भुगतान बोलीदाता द्वारा किया जाएगा तथा विभाग को उस करार की एक निष्पादित स्टाम्प शुदा प्रतिपड़त निःशुल्क दी जाएगी।

15. भुगतानः

(i) जब तक पक्षकारों के मध्य अन्यथा सहमति न हो जाए, सेवा/अनुबन्ध के लिए प्रत्येक माह के भुगतान हेतु बोलीदाता द्वारा क्रेता अधिकारी को उचित प्रारूप में बिल प्रस्तुत करने पर किया जाएगा तथा सभी प्रेषण प्रभार बोलीदाता द्वारा वहन किए जाएंगे।

(ii) विवादास्पद मदों के संबंध में, राशि का 10 से 25 प्रतिशत तक को रोका जाएगा तथा उस विवाद का निपटारा हो जाने पर उसका भुगतान बशर्ते कि कोई शास्ति नहीं बनती है तो पूरा, अन्यथा शास्ति की राशि काटते हुये भुगतान कर दिया जाएगा।

(iii) उन मामलों के संबंध में, जिनमें परीक्षण करने की जरूरत है, भुगतान तभी किया जाएगा जब उनका परीक्षण कर लिया जाए तथा प्राप्त हुए परीक्षण परिणाम विहित विनिर्देशों के अनुरूप हों।

16. (i) बोली प्रपत्र में सुपुर्दगी के लिए विनिर्दिष्ट समय को संविदा के सार रूप में समझा जाएगा तथा सफल बोलीदाता क्रेता अधिकारी से स्पष्ट आदेश के प्राप्त होने पर अवधि के भीतर प्रदा य करेगा।

(ii) परिसमापित नुकसानीः—बोली प्रपत्र में अंकितानुसार परिसमापित नुकसानी की दरें प्रभावी होंगी।

(iii) यदि सेवा/अनुबन्ध किन्हीं बाधाओं के कारण संविदान्तर्गत सेवा/अनुबन्ध को पूरा करने के लिए समय में वृद्धि करना चाहता है, तो वह लिखित में उस प्राधिका री को आवेदन करेगा जिसने कार्य हेतु आदेश दिया है किन्तु वह उसके लिए निवेदन बाधा के घटि त होने पर तुरन्त उसी समय करेगा न कि सेवा पूर्ण होने की निर्धारित तारीख के बाद करेगा।

(iv) यदि सेवा/अनुबन्ध करने में उत्पन्न हुई बाधा बोलीदाता के नियंत्रण से परे कारणों से हुई हो तो सेवा की अवधि में वृद्धि परिसमापित नुकसानी सहित या रहित की जा सकेगी।

17. वसूलियाँः— परिसमापित नुकसानी, रद्द की गयी सेवाओं के लिए वसूली साधारण रूप से बिल में से की जाएगी। सेवा/अनुबन्ध, रद्द किए गए सेवा/अनुबन्ध की सीमा तक राशि ा को भी रोका जा सकेगा तथा यदि सेवा प्रदाता संतोषजनक ढंग से सेवा उपलब्ध नहीं कराई जाती है तो परिसमापित नुकसानी के साथ वसूली उसकी देय राशि एवं विभाग के पास उपलब्ध प्रतिभूति निक्षेप से की जाएगी। यदि वसूली करना संभव न हो तो राजस्थान पी डी आर एक्ट या प्रवृत्त किसी अन्य कानून के अन्तर्गत कार्यवाही की जाएगी।

18. यदि बोलीदाता ऐसी शर्तें आरोपित करता है जो इसमें वर्णित शर्तों के अतिरिक्त हैं या उनके विरोध में हैं, तो उसकी बोली को संक्षिप्त रूप में कार्यवाही कर रद्द कर दिया जाएगा। किसी भी सूरत में इनमें से किसी भी शर्त को स्वीकार किया हुआ नहीं समझा जाएगा जब तक कि क्रेता अधिकारी द्वारा जारी किए गए बोली स्वीकृति के पत्र में विशेष रूप से उल्लेखित न किया गया हो।

19. क्रेता अधिकारी किसी भी बोली को जो आवश्यक रूप से न्यूनतम दर की बोली नहीं है, स्वीकार करने, बिना कोई कारण बतलाये किसी भी बोली को रद्द करने या जिन सेवाओं के लिए बोलीदाता ने बोली दी है, उन सब के लिए या किसी एक या अधिक के लिए बोली को स्वीकार करने या एक फर्म/प्रदायकर्ता से अधिक को सेवा की मदों को वितरित करने के अधिकार को अपने पास आरक्षित रखेगा।

20. बोलीदाता करार को निष्पादित करते समय निम्नलिखित दस्तावेज प्रस्तुत करेगाः—

(i)यदि भागीदारी फर्म हो तो भागीदारी विलेख की एक अनुप्रमाणित प्रति।

(ii)यदि भागीदारी फर्म रजिस्ट्रार ऑफ फर्म्स के पास पंजीकृत हो तो पंजीयन संख्या एवं उसका वर्ष

(iii) एक मात्र स्वामित्व के मामले में आवास एवं कार्यालय का पता, टेलीफोन नम्बर।

(iv) कम्पनी के मामले में कम्पनी के रजिस्ट्रार के द्वारा जारी किया गया प्रमाण पत्र।

21. यदि संविदा के निर्वचन, आशय या संविदा की शर्तों के उल्लंघन के संबंध में कोई विवाद उत्पन्न होता है तो पक्षकारों द्वारा मामले को महा निदेशक, ह.च.मा. राजस्थान राज्य लोक प्रशासन संस्थान, जयपुर के समक्ष रखा जावेगा और इस विवाद पर वे दो नों पक्षों की बात सुनेंगे तथा उनका नर्णय अंतिम होगा।

22. ड्यूटी समय में वाहन चालक के पास लाईसेन्स एवं आर.टी.ओ. द्वारा निर्धारित पोशाक में होना अनिवार्य है तथा उपलब्ध कराये गये सभी वाहन बीमित होना अनिवार्य है।

23. समस्त विधिक कार्यवाहियाँ, यदि संस्थित किया जाना आवश्यक हो, किसी भी पक्षकार द्वारा जयपुर शहर में स्थित न्यायालयों में ही की जाएगी, अन्यत्र नहीं की जाएंगी।

बोलीदाता के हस्ताक्षर
मय मोहर